"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 अप्रैल 2025 — वैशाख 8, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

क्र. 3649 / डी. 59 / 21–अ / प्रारू. / छ.ग. / 25. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 16–04–2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2025

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) को अग्रतर संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) की धारा 3 में, शब्द ''सौ'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार'' प्रतिस्थापित किया जाए।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

क्र. 3649/डी. 59/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2025)

THE CHHATTISGARH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2025.

An Act further to amend the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Contingency Fund (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3. 2. In Section 3 of the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001), for the word "hundred", the word "one thousand" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2015— चैत्र 9, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक 2952/डी. 106/21-अ/प्रारू. /छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-03-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) की धारा 3 में, शब्द "चालीस" के स्थान पर, शब्द "सौ" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक 2952/डी. 106/21-अ/प्रारू. /छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्र. 7 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2015)

THE CHHATTISGARH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act to amend the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Contingency Fund (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3. 2. In Section 3 of the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001), for the word "forty", the word "hundred" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

(5)

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र. 1 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मि कता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाये रखने के लिए व्यवस्था करने के हेतु विधयेक .

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :-

संक्षिप्त नाम,

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन से प्रवृत्त होगा।

परिभाषा,

2. इस अधिनियम में,जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विपरीत न हो, 'निधि' से तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित की गई छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि से है।

आकस्मिकता निधि की स्थापना,

3. अग्रदाय के रूप में, 'छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना की जायगी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से चालीस करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जायगा।

निधि की अभिरक्षा तथा उसमें से धन निकालना.

4. यह निधि राज्यपाल की ओर से शासन के वित्त विभाग के सचिव द्वारा धारण की जायगी और विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन राज्य के विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय का प्राधिकरण हो जाने तक अनपेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के आशयों के अतिरिक्त निधि में से कोई भी अग्रिम नहीं दिये जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति;

5. इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के आशय के लिये राज्य शासन निधि की अभिरक्षा, उसमें धनों के भुगतान और उसमें से धनों के निकालने से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने वाले नियम बना सकेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड 2 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि के सृजन के लि पुरःस्थापित किया जा रहा है जिससे संविधान के अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधान मण्डल विधि द्वारा प्राधिकृत कि जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये राज्यपाल को समर्थ बनाया जा सके।

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर :
तारीख 26-2-2001

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य

''संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

भगवानदेव ईसरानी
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

THE CHHATTISGARH CONTINGENCY FUND Act, 2001.

(Chhattisgarh Bill No. 1 of 2001)

An Bill to provide for the establishment and maintenance of the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

I. (1) This Act may be called as the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001

(2) It shall come into force on the whole State of Chhattisgarh from its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject of context, "the Fund" means the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh established under section 3.

Establishment of Contingency Fund.

3. There shall be established a Fund in the nature of an imp rest entitled "The Contingency Fund of the State of Chhattisgarh" into which shall be paid from and out of the consolidated Fund of the State of Chhattisgarh a sum of forty crores of rupees.

Custody of Fund and withdrawal therefrom.

4. The fund shall be held on behalf of the Governor by the Secretary to Government in the Finance Department, and no advances shall be made out of the Fund, except for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorization of such expenditure by the Legislature of the State under appropriation made by Law.

Power to make rules

5. For the purpose of carrying out the objects of this Act, the State Government may make rules regulating all matters connected with or ancillary to the custody of payment of moneys into, and the withdrawal of moneys from the Fund.

②

फरवरी-अप्रैल,2001 सत्र

विधेयक क्रमांक	विधेयक का नाम	विभाग का नाम	पुर:स्थापन का दिनांक	विचार एवं पारण का दिनांक
1.	छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001)	वित्त	15 मार्च	15 मार्च
2.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधयेक, 2001 (क्रमांक 2 सन् 2001)	वित्त	5 मार्च	5 मार्च
3.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2001	वित्त	22 मार्च	22 मार्च
4.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2001 (क्रमांक-4 सन् 2001)	वाणिज्यिक कर	26 मार्च	19 अप्रैल
5.	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001)	वाणिज्यिक कर	26 मार्च	19 अप्रैल
6.	छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 (क्रमांक 6 सन् 2001)	वित्त	26 मार्च	26 मार्च
7.	छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001)	स्वास्थ्य	16 अप्रैल	19 अप्रैल
8.	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001)	यो.आ. एवं सांख्यिकी	19 अपैल	27 जुलाई
9.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001)	वित्त		
10.	छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक हित संरक्षण विधेयक, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001)	दिनांक 17/4/2001 को प्राप्त सूचना पर भारसाधक सदस्य के हस्ताक्षर न होने के कारण इसे वापस किया गया.		
11.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001)	दिनांक 27/7/2001 को पुरःस्थापित विधेयक भारसाधक सदस्य द्वारा वापस लिया गया.		
12.	छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001)	संसदीय कार्य	19 अप्रैल	27 जुलाई
13.	छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 13 सन् 2001)	संसदीय कार्य	19 अप्रैल	27 जुलाई
14.	छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001)	दिनांक 30/7/2001 को पुरःस्थापित विधेयक भारसाधक सदस्य द्वारा वापस लिया गया.		

जुलाई-अगस्त,2001 सत्र

③

"(विधान सभा द्वारा यथा पारित)"

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाये रखने के लिए व्यवस्था करने के हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

(2) यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन से प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विपरीत न हो, 'निधि' से तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित की गई छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि से है। — परिभाषा

3. अग्रदाय के रूप में, 'छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना की जायेगी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से चालीस करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जायगा। — आकस्मिकता निधि की स्थापना

4. यह निधि राज्यपाल की ओर से शासन के वित्त विभाग के सचिव द्वारा धारण की जायगी और विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन राज्य के विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय का प्राधिकरण हो जाने तक अनपेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के आशयों के अतिरिक्त निधि में से कोई भी अग्रिम नहीं दिये जायेंगे। — निधि की अभिरक्षा तथा उसमें से धन निकालना

5. इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के आशय के लिये राज्य शासन निधि की अभिरक्षा, उसमें धनों के भुगतान और उसमें से धनों के निकालने से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने वाले नियम बना सकेगा। — नियम बनाने की शक्ति

"यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2001 को पारित किया गया।"

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर :
दिनांक : [illegible] मार्च, 2001

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2001—माघ 7, शक 1922

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2001

क्रमांक-598/21-अ (प्रारूपण)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

''छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001).''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. गुरूपंच, उप सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
क्रमांक 1 सन् 2001

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाए रखने के लिये व्यवस्था करने हेतु अध्यादेश .

अत: यह समीचीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आकस्मिकता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाए रखने के लिए व्यवस्था करने हेतु उपबंध किया जाए ;

अत: राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया हो कि वे तुरंत कार्यवाही करें ;

अतएव, भारत की संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम . 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2001 है .

परिभाषा . 2. इस अध्यादेश में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो, "निधि" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन स्थापित की गई छत्तीसगढ़ राज्य आकस्मिकता निधि .

आकस्मिकता निधि की स्थापना . 3. अग्रदाय के रूप में "छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि " नामक एक निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से 40.00 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जाएगा .

निधि की अभिरक्षा तथा उसमें से धन निकालना . 4. यह निधि राज्यपाल की ओर से शासन के वित्त विभाग के सचिव द्वारा धारण की जाएगी और विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन राज्य के विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकृत हो जाने तक अनपेक्षित व्ययों को पूर्ति करने के प्रयोजनों के सिवाय, निधि में से कोई भी अग्रिम नहीं दिए जायेंगे .

नियम बनाने की शक्ति . 5. इस अध्यादेश के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार निधि की अभिरक्षा, उसमें धन के भुगतान और उसमें से धन के निकालने से संबंधित या आनुषंगिक समस्त विषयों का विनियमन करने हेतु नियम बना सकेगी.

रायपुर :
तारीख 27-1-2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. गुरुपंच, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
No. 1 of 2001

THE CHHATTISGARH CONTINGENCY FUND ORDINANCE, 2001

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Fifty-second Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for the establishment and maintenance of the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh.

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment and maintenance of the Contingency Fund for the State of Chhattisgarh ;

AND WHEREAS the State Legislature is not in session, and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title. 1. This Ordinance may be called the Chhattisgarh Contingency Fund Ordinance, 2001.

Definition. 2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context, "the fund" means the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh established under Section 3.

3. There shall be established a Fund in the nature of an imprest entitled "the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh" into which shall be paid from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh a sum of forty crores of rupees. **Establishment of Contingency Fund.**

4. The Fund shall be held on behalf of the Governor by the Secretary to Government in the Finance Department and no advances shall be made out of the Fund except for the purposes of meeting unforseen Expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State under appropriation made by Law. **Custody of Fund and withdrawal there from.**

5. For the purpose of carrying out the objects of this Ordinance the State Government may make rules regulating all matters connected with or ancillary to the custody of, payment of moneys into, and the withdrawal of moneys from, the Fund. **Power to make rules.**

Raipur :
Dated the 27-1-2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. Gurupanch, Dy. Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.